रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042026-271494
CG-DL-E-01042026-271494

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/चैत्र 11, 1948
No. 98] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/CHAITRA 11, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

फा.सं. पी-44015/1/2023-डीबीए-II.—भारत सरकार, एतद्द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण स्कीम (उन्नति), 2024 शीर्षक वाली दिनांक 13 मार्च, 2024 की अधिसूचना संख्या पी-44015/1/2023-डीबीए-II एस में निम्नलिखित संशोधन करती है।

क. इस स्कीम को उन्नति, 2024 संशोधन स्कीम कहा जाएगा।

ख. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू मानी जाएगी।

ग. खंड 5 में - पंजीकरण के लिए आवेदन अवधि:

i. दिनांक "*31 मार्च, 2026*" के स्थान पर "*30 सितंबर, 2026*" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

घ. खंड 6 में - पंजीकरण प्रदान करना:

i. वाक्य "दिनांक “*30 सितंबर, 2026* जब तक कि अन्यथा विस्तारित न किया जाए" को "*दिनांक 31 मार्च, 2027*" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ङ. उपखंड 7.3 (घ) के बाद निम्नलिखित उपखंड जोड़ा जाएगा:

"7.3 (ङ): केवल <u>विनिर्माण क्षेत्र</u> पर लागू और निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के भीतर उस ही या किसी भिन्न स्थान पर पर्याप्त विस्तार किया जा सकता है:

i. विस्तारित इकाई को मूल इकाई के समान ही, विनिर्माण कार्यकलाप जारी रखने होंगे और उसी जीएसटीआईएन और कंपनी के नाम के तहत काम करना होगा।

ii. विभिन्न स्थानों पर विस्तार को एक एकीकृत परियोजना के रूप में माना जाएगा

iii. निवेश को धारा 8.2 या 8.4 के अनुसार पर्याप्त विस्तार के लिए न्यूनतम मानदंडों को पूरा करना होगा।

iv. ऐसे मामलों में जहां एक ही राज्य के भीतर किसी भिन्न स्थान पर पर्याप्त विस्तार किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जोन वर्गीकरण (अर्थात, क्षेत्र क से क्षेत्र ख या इसके विपरीत) परिवर्तन होता है, लागू प्रोत्साहन दरों नए विस्तार वाले स्थानों की जोन श्रेणी के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।"

च. उपखंड 7.4 (ख) में 'सेवा इकाई':

क. *"स्वास्थ्य पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन"* को *"क्रूज जहाज और हाउसबोट सेवाएं"* से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ख. "*आईटी-आईटीईएस*" शब्द के बाद और "*बीपीओ*" शब्द से पहले, *"(केवल डेटा सेंटर)"* शब्द जोड़े जाएंगे।

ग. "*ईवी चार्जिंग स्टेशन*" के बाद, "*रोपवे/मनोरंजन पार्क/राइड्स*" जोड़ा जाएगा।

घ. निम्नलिखित क्षेत्रों को खंड 7.4(ख) से हटा दिया जाएगा:

i. शिक्षा (व्यावसायिक और डिजिटल/ई-लर्निंग)

ii. फिनटेक और वित्तीय सेवाएं

iii. बीपीओ

iv. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और कृषि

छ. धारा 8.10 अन्य स्कीमों के अंतर्गत लाभ:

i. "*भारत सरकार*" शब्दों के बाद और "*पात्र नहीं होंगे*" शब्दों से पहले, "*या राज्य सरकार*" शब्द जोड़े जाएंगे।

ii. दूसरी पंक्ति से "*हालांकि*" शब्द हटा दिया जाएगा।

iii. उपखंड 8.10 में "*इस स्कीम के तहत*" के अंत वाली पंक्ति के बाद और "*यद्यपि, पात्र मूल्य*" से शुरू होने वाली पंक्ति से पहले निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा, अर्थात्: "*यद्यपि, उन्नति, 2024 के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली इकाइयां राज्य सरकारों से अतिरिक्त शीर्ष-वृद्धि सहायता भी प्राप्त कर सकती हैं, बशर्ते वे ऐसी सहायता के लिए आवेदन करते समय उन्नति, 2024 के तहत प्राप्त लाभों का खुलासा करें।*"

ज. धारा 11.1.1- पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीआईआई)

i. इस उपखंड 11.1.1(क)(ii) के बाद, निम्नलिखित उपखंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"(iii) एक ही नाम से कई इकाइयां रखने वाली लेकिन अलग-अलग जीएसटी पंजीकरण संख्या वाली कंपनियां भी आवेदन कर सकती हैं; हालाँकि, धारा 8.8 के अनुसार, राज्य में प्रति इकाई कुल प्रोत्साहन ₹250 करोड़ से अधिक नहीं होगा।"

ii. उपखंड 11.1.1 में, 11.1.1(च) के बाद, निम्नलिखित उपखंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्, -

छ) "पात्र घटकों में किसी भी सकारात्मक विचलन को बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लिखित मूल्यांकित मूल्य से 15% से अधिक तक सीमित रखा जाएगा, बशर्ते कि खंड 8.8 के तहत निर्धारित समग्र प्रोत्साहन सीमा और स्कीम के बजटीय आबंटन की उपलब्धता हो। नकारात्मक परिवर्तन की स्थिति में, न्यूनतम निवेश आवश्यकता का पालन करना जारी रहेगा।"

झ. धारा 11.1.2 (घ) - पूंजी ब्याज सहायता (सीआईएस):

iii. उपखंड 11.1.2(घ) में "*भारतीय रिज़र्व बैंक*" शब्द के अंत में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम (एसबीएस) को उन्नति 2024 स्कीम के तहत पात्र माना जाएगा।"

ञ. अनुबंध II - सकारात्मक सूची: सेवा क्षेत्र के लिए

i. सेवा क्षेत्र के लिए निम्नलिखित सेवा क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:

क. "*स्वास्थ्य पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन*" को "*क्रूज जहाज और हाउसबोट सेवाएं*" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ख. "*आईटी-आईटीईएस*" शब्द के बाद और "*बीपीओ*" शब्द से पहले, *"(केवल डेटा सेंटर)"* शब्द जोड़े जाएंगे।

ग. क्रमांक 10 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

i. "रोपवे/ मनोरंजन पार्क/ राइड्स"

ii. सेवा क्षेत्र के लिए निम्नलिखित सेवा क्षेत्रों का लोप किया गया है:

क. शिक्षा (व्यावसायिक एवं डिजिटल/ई-लर्निंग)

ख. फिनटेक और वित्तीय सेवाएं

ग. बीपीओ

घ. प्रौद्योगिकी उन्मुख स्टार्टअप/इकाइयों के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं तथा कृषि

गुरनीत तेज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April 2026

F. No. P-44015/1/2023-DBA-II.—The Government of India hereby makes the following amendments to the Notification No. P-44015/1/2023-DBA-II S dated 13.03.2024, titled Uttar Poorva Transformative Industrialization Scheme (UNNATI), 2024 for the North-Eastern Region.

A. This Scheme may be called the UNNATI, 2024 Amendment Scheme.

B. This shall be deemed to have come into force from the date of notification.

C. In clause 5 - Application period for registration:

i. date "*31.03.2026*" shall be substituted with "*30.09.2026*"

D. In clause 6 - Grant of registration:

i. the sentence "*30.09.2026 unless otherwise extended*" shall be substituted with "*31.03.2027*".

E. The following sub-clause shall be added after sub-clause 7.3(d):

"7.3(e): Substantial expansion may be undertaken at the same or a different location within any NER State applicable only to manufacturing sector, subject to the following conditions:

- *i. The expanded unit must continue the same manufacturing activity as the original unit and must operate under the same GSTIN and company name.*
- *ii. Expansion to different locations will be treated as a single integrated project.*
- *iii. The investment must meet the minimum criteria for substantial expansion as per clauses 8.2 or 8.4.*
- *iv. In cases where substantial expansion is undertaken at a different location within the same state, resulting in a change of zone categorization (i.e., Zone A to Zone B or vice versa), the applicable incentive rates shall be determined based on the zone category of the new expansion location."*

F. In sub-clause 7.4 (b) Services unit':

- *a) "Health Tourism, Eco-Tourism"* shall be replaced with *"Cruise ship and houseboat services".*
- *b)* After the word *"IT-ITeS"* and before the word *"BPO",* the words *"(Data Centres only)"* shall be inserted.
- *c)* After "*EV Charging Stations", "Ropeway/ Amusement Parks/ Rides"* shall be inserted.
- d) The following sectors shall be omitted from clause 7.4(b):
  - *i. Education (Vocational & Digital/e-learning)*
  - *ii. Fin-tech & Financial Services*
  - *iii. BPO*
  - *iv. Primary Healthcare and Agriculture*

G. Sub-clause 8.10 - Benefits under other Schemes:

- i. After the words "*Government of India*" and before the words "*will not be eligible*", the words "*or State Government*" shall be inserted.
- ii. The word "*however*" shall be omitted from the second line.
- iii. In clause 8.10 after the line ending "*under this Scheme*" and before the line starting "*However, the eligible value*" the following sentence shall be inserted, namely:

  "*However, units receiving incentives under UNNATI, 2024 may also obtain additional top-up support from State Governments, provided they disclose the benefits availed under UNNATI, 2024 when applying for such support.*"

H. Sub-clause 11.1.1 - Capital Investment Incentive (CII)

- i. After sub-clause 11.1.1(a)(ii) this, the following sub-clause shall be inserted, namely:

  "*(iii) Entities with multiple units under the same name but different GST registration numbers may also apply; however, the total incentive per entity in the State shall not exceed ₹250 crore, as per Clause 8.8*".
- ii. In sub-clause 11.1.1, after 11.1.1(f), the following sub-clause shall be inserted, namely,

  g*) Any positive deviation in eligible components shall be restricted to 15% above the appraised value as mentioned in Bank Appraisal Report, subject to the overall incentive ceiling prescribed under Clause 8.8 and availability of budgetary outlay of the Scheme. In case of negative deviation, the minimum investment requirement shall continue to be adhered.*"

I. Sub-clause 11.1.2(d) - Capital Interest Subvention (CIS):

- iii. In sub-clause 11.1.2(d) after the word ending "*Reserve Bank of India.*", the following sentence shall be inserted, namely:

  "The State Bank of Sikkim (SBS) will be considered eligible under the UNNATI, 2024 Scheme."

J. Annexure II - Positive List: For Service Sector

- i. For Service Sector, following service sectors shall be inserted, namely:
  - a. *"Health Tourism, Eco-Tourism"* shall be replaced with *"Cruise ship and houseboat services"* at serial no. 2.

b. After the word *"IT-ITeS"* and before the word *"BPO",* the words *"(Data Centres only)"* shall be inserted at serial no. 7.

c. After serial no. 10, the following shall be inserted,

i. "Ropeway/ Amusement Parks/ Rides"

ii. For Service Sector, the following service sectors are omitted:

a. Education (Vocational & Digital/e-learning)

b. Fintech and Financial Services

c. BPO

d. Primary healthcare and Agriculture under Tech-oriented start-ups/units.

GURNEET TEJ, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.04.01 20:53:49 +05'30'